

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बस्ती।
फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या-470/2026
वीरेन्द्र बनाम सरकार।

10.07.2026

फौजदारी अपील अंगीकरण के विन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हुआ।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस स्तर पर अपील पर बल न देना कहा गया तथा
इस आशय का पृष्ठांकन प्रार्थनापत्र पर किया गया है। ऐसी स्थिति में फौजदारी अपील
अंगीकरण के स्तर पर बल न देने के आधार पर खारिज होने योग्य है।

आदेश

फौजदारी अपील अंगीकरण के स्तर पर बल न देने के आधार पर खारिज
किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
बस्ती।